12/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील [illegible] बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र O22R3 [illegible] पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 13/2/24 को पेश हो। वकील अप्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थी को जवाब देकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शा.पत्र. रहे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

13/2/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ.सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। वास्ते आदेश दि. 28/2/24 को पेश हो।

28/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण ने स्वंय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी में प्रार्थी मदनलाल की मृत्यु दिनांक 08.08.2020 को होना स्वीकार किया है। तथा मृत्यु दिनांक 08.08.2020 से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी की प्रस्तुति की दिनांक 06.12.2023 तक की अवधि का विलम्ब होने बाबत कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है साथ ही मियाद अधिनियम के तहत डिले कन्डोन हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि मृतक के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु 90 दिवस की समय सीमा नियत हैं। तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी तीन वर्ष से अधिक समयावधि पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत भू आवंटन नियम 14(4) अबेट होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:26 IST
Reason: SelfAttested